

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 24.12.2024

**पैसा लेकर अवैध व कूटरचित वीजा देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 1.मु0अ0सं0 810/2024 धारा 318(4)316(2)/61 भा0न्या0सं0 व 2. मु0अ0सं0 839/2024 धारा 318(4)316(2)/61 भा0न्या0सं0, 3.मु0अ0सं0 880/2024 धारा 318(4)316(2)/61 भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त चन्दन सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेना तथा अवैध व कूटरचित वीजा देकर धोखाधड़ी करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

चन्दन सिंह पुत्र ध्रुव नरायण सिंह ग्राम तियरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 810/2024 धारा 318(4)316(2)/61 भा0न्या0सं0 थाना झंगहा गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 839/2024 धारा 318(4)316(2)/61 भा0न्या0सं0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 880/2024 धारा 318(4)316(2)/61 भा0न्या0सं0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 068/2015 धारा 147/148/308/323/504/506 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 आलोक कुमार सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 हरेन्द्र प्रसाद थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. कां0 राजेश कुमार थाना झंगहा जनपद गोरखपुर